न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 87 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. दलपतसिंह पुत्र करणसिंह 2. रेखा पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज.)	बनाम	1.जेठूसिंह पुत्र तगसिंह 2.हड़मसिंह पुत्र तगसिंह 3.दुर्गसिंह पुत्र तगसिंह 4.आम्बसिंह पुत्र पूनमसिंह 5.आईदानसिंह पुत्र पूनमसिंह 6.हीरसिंह पुत्र पूनमसिंह 7.मफी पत्नी पूनमसिंह 8.आसुसिंह पुत्र धर्मसिंह 9.भंवरसिंह पुत्र धर्मसिंह 10.अजीतसिंह पुत्र धर्मसिंह 11.हरीसिंह पुत्र करणसिंह 12.बलवन्तसिंह पुत्र किस्तूरसिंह 13.भंवरसिंह पुत्र किस्तूरसिंह 14.चुतरसिंह पुत्र जवारा 15.पहाड़सिंह पुत्र जवारा 16.मोडसिंह पुत्र रामा वगैरा के कायम मुकाम – 16 / 1 तनसिंह पुत्र मोडसिंह 16 / 2 गजेसिंह पुत्र मोडसिंह 16 / 3 गणपतसिंह पुत्र मोडसिंह 16 / 4 छगनकंवर पत्नी मोडसिंह 17.करणसिंह पुत्र मोहबतसिंह 18.भंवरसिंह पुत्र मोहबतसिंह 19.किशनसिंह पुत्र मोहबतसिंह 20.जालमसिंह पुत्र मोहबतसिंह 21.गणपतसिंह पुत्र मोहबतसिंह 22.वेरीसालसिंह पुत्र मोहबतसिंह 23.रूखमाकंवर पत्नी मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी पदरड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर(राज.) 24.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी 25.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 26.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी बमुंकदमा सं. 118/2016 बअनवान दलपतसिंह वगै. बनाम जेठुसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2016।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7, 13, 15, 18, 19, 21 से 24 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 25.03.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 01, 106, 290, 304, 312, 326, 180, 208, 210, 275, 276, 351, 79, 373, 473, 596, कुल रकबा 638.16 बीघा और ग्राम सिन्धासवा हरनियान के खसरा संख्या 32/03, 30/03 व 31/03 कुल रकबा 77 बीघा भूमि के अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 11 के पिता करणसिंह रिकर्डेड खातेदार थे। जिनके विरूद्ध उतरदातागण संख्या 17/1 से 17/4 के पिता मोडसिंह उर्फ मोडा ने एक राजस्व वाद संख्या 166/2000 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत किया। दौराने दावा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 11 के पिता व पति करणसिंह का स्वर्गवास हो गया परन्तु जानबूझकर अपीलांट मोडसिंह उर्फ मोडा व उतरदातागण ने फौतेदगी की सूचना न्यायालय में पेश नहीं की न ही मृतक के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये तथा न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। इस वाद का कोई सम्मन तामील नहीं करवाया गया। अपीलांटगण के पिता करणसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी पादरड़ी तहसील गुड़ामालानी का स्वर्गवास दिनांक 16.06.2001 के अर्थात एकतरफा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2002 से पूर्व हो गया था। अपीलांटगण के पिता द्वार अधिवक्ता नियुक्त करना बतलाया गया है और उनके द्वारा दिनांक 23.01.2001 को जबाव देना बताया गया है। उपरोक्त वकालतनामा व जबाबदावा पर भी फर्जी अंगुठे निशान किये गये। उपरोक्त संदेह के आधार पर भी अपीलांटगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदाता संख्या 17 ने एक राजस्व वाद 88, 188 आर.टी.एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अपीलांटगण एवं अपीलांट के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे। अपीलांट के पिता करणसिंह डिक्री होने से पहले दिनांक 16.07.2001 को मर गया था। सम्मन तामील विधिवत्त रूप से तामील नहीं हुए। मृतक करणसिंह की ओर से फर्जी अंगूष्ठ लगाकर वकील नियुक्त किया गया जबाव दावा न देकर साधारण प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर करणसिंह के अंगूष्ठ निशान नहीं है। बंटवाड़ प्रस्ताव मंगवा लिया गया परन्तु तहसीलदार स्वयं मौके पर नही गये तथा विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रतिहस्ताक्षर किये गये। एल.आर.आई. एवं पटवारी ने मौके पर जाकर करणसिंह के अंगूष्ठ निशान लगा लिया। नियम 18 से 21 की पालना नहीं हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बंट में जमीन में अपीलांट की ढाणी आ गई व खेड़े की जमीन बंट में लेली। एकतरफा डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिली प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं अपनाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया कि उसने वकील नहीं किया, सम्मन सही तामील नहीं हुआ, तहसीलदार ने मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नहीं किया। नया तथ्य अपील में नही उठाया जा सकता। नेखमबंदी का आवेदन संख्या 114/2016 पेश किया। नेखमंदी रूकवाने हेतु आदेश 09 नियम 13 का आवेदन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। नेखमबंदी हो गई तथा उसकी पुष्टि भी हो गई। श्री करणसिंह ने श्री रूपसिंह को वकील नियुक्त किया। ग्राम पंचायत ने फौतेदगी का म्यूटेशन दिनांक 20.04.2004 को भरा उस समय अपीलांट को विभाजन की जानकारी हो गई थी। निर्णय व डिक्री के समय करणसिंह जीवित थे। मौके पर हाजिर रहकर अपने कब्जा काश्त की भूमि का विभाजन करवाया गया। दो दिन में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये गये उस दौरान करणसिंह की मृत्यु नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पास किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। उन्होने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

RRT 2006(2) Page 1308
RRT 2006(2) Page 1310
RRT 2015(1) Page 125
RRT 2017(1) Page 610
RRT 2014(2) Page 881
RRT 2017(1) Page 689
RRT 2002(2) Page 1104
RRT 2004(2) Page 763
RRT 2005(1) Page 235

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 29.01.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि करणसिंह की मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण पेश किया गया है जिसमें मृत्यु की तारीख 16.07.2001 अंकित की गई है। उतरदातागण द्वारा ग्राम पंचायत से जन्म मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने के इन्द्राज रजिस्टर की प्रति मांगी गई थी जो यह अपील पेश करने के बाद मिली ह जिसको पेश करना चाहता है और यह कि इन्द्राज रजिस्टर लोक दस्तावेज है जो निर्णय में सहायक होगा कि उस दिन करणसिंह का देहांत न होकर हरीसिंह पुत्र करणसिंह का देहांत हुआ था। अतः दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में अपीलांटगण ने बताया कि उसके द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र सही पेश किया गया है, रजिस्टर की प्रति फर्जी पेश की गई है। इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा करणसिंह की मृत्यु दिनांक 16.07.2001 बताया है और ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान में करणसिंह की मृत्यु दिनांक 18.08.2002 को होना बताई गई है इस पर करणसिंह के मरने पर फौतदगी का म्यूटेशन संख्या 657 पारित किया गया है जिसमें दिनांक 17.03.2004 को मृत्यु होना कहा गया है। इस प्रकार करणसिंह के मृत्यु के संबंध में तीन प्रकर के कथन हुए हैं। प्रकरण में एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई है जो गलत पारित की गई थी आवेदन दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद पेश किया है यह खारिज करने योग्य है

प्रस्तुत दस्तावेज इन्द्राज रजिस्टर जन्म मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया। यह RTI के तहत तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रदत सूचना के तहत दिया गया दस्तावेज है जिसमें क्रमांक 300 पर एक प्रविष्टि दिनांक 16.06.2009 हरीसिंह पुत्र करणसिंह राजपूत पादरड़ी 16.07.2001 मृत्यु प्रमाण पत्र है। यह कार्यपालक रजिस्टर के द्वारा मृत्यु की घटना के विलम्ब से प्रविष्टि हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों को तस्दीक कर अनुज्ञा–पत्र जारी करने से संबंधित संधारित रजिस्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है। यह प्रविष्टि करणसिंह की मृत्यु के लगभग 7 वर्ष पश्चात किसी शपथ–ग्रहीता द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र देकर अनुज्ञा–पत्र जारी करवाने हेतु की गई कार्यवाही का हिस्सा है जो निश्चायक रूप से करणसिंह की मृत्यु की घटना को निर्धारित नहीं कर पाती है। करणसिंह की मृत्यु की दिनांक के संबंध में विवाधक निर्धारण हेतु यह पुख्ता एवं आकाट्य प्रमाण नही हो सकता इसलिए रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के तहत ग्रहण करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होने से खारिज किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट(अप्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत देस्तावेजों की सूची में ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं जो मृतक करणसिंह की मृत्यु दिनांक निर्धारण हेतु जन्म–मृत्यु रजिस्टरीकरण नियमों के तहत होने से ग्रहण किया जाने योग्य है। इस फहरिस्त दस्तावेज में क्रमांक 3 पर वर्णित मृतक करणसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह राजपूत का प्रपत्र संख्या 2 मृत्यु प्रतिवेदन है यह बाकायदा नियमों में निर्धारित प्रपत्र है और इसको सूचना प्रदाता द्वारा विधिवत रूप से भरकर रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु को पेश किया जाता है और इसी को आधार मानकर पंजीकरण किया जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध इस प्रपत्र संख्या 2 मृत्यु प्रतिवेदन में सूचना दाता हडमतसिंह पुत्र तगसिंह द्वारा अपने हस्ताक्षरों से मृतक करणसिंह पुत्र धर्मसिंह राजपूत(पुरूष) की मृत्यु का स्थान पादरड़ी, मृतक की आयु 38 वर्ष एवं मृत्यु की तारीख 19.08.2002 की सूचना दी गई जिस पर पंजीकरण संख्या 02 पंजीकरण दिनांक 26.08.2002 पंजीकरण ईकाई सिंधासवा गांव पादरड़ी पंजीयक द्वारा भरकर अपने हस्ताक्षरों से जारी की गई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 25.08.2016 है जो रिकॉर्ड पर है। यह दस्तावेज वास्तविक एवं कानूनन सही होने से मान्य है। इसी दस्तावेज को आधार मानकर ग्राम पंचायत सिंधासवा हरनियान द्वारा जारी पत्र (दस्तावेज संख्या 2) सं. ग्रा प सिंह / 2016–17 / 34 दिनांक 25.08.2016 जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मृतक करणसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी पादरड़ी का रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत कार्यालय में पंजीकरण दिनांक 26.08.2002 व पंजीकरण संख्या 2 मृतक करणसिंह पुत्र धर्मसिंह की मृत्यु दिनांक 19.08.2002 को हुई जिसकी सूचना ग्राम पंचायत में हड़मसिंह पुत्र तगसिंह द्वारा दी गई है। उक्त दोनों दस्तावेजात करणसिंह की मृत्यु की पुष्टि हेतु सर्वाधिक वैधानिक एवं सबल अभिलेखीय ग्राह्य सबूत है। इनके आलोक में मृतक करणसिंह की मृत्यु दिनांक 19.08.2002 को हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीगण प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी में उल्लेखित अनुसार कथित मृतक करणसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय दिनांक 27.05.2002 है। यह निर्णय पारित करने की दिनांक को उपरोक्त दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर करणसिंह जीवित थे। अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 166/2000 की आदेशिका दिनांक 27.05.2002 के अवलोकन से भी **"विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है जिसे पक्षकारान ने स्वीकार किया है"** इसकी पुष्टि होती है। तहसीलदार गुड़ामालानी की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 28 एवं 29.04.2002 से भी स्पष्ट है कि उस समय कथित मृतक **"करणसिंह के साथ कब्जा काश्त की जानकारी मौके पर ली एवं विभाजन में वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमती है"** का तहरीर में उल्लेख है। आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी पी सी तथ्यों से परे होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा मुकदमा संख्या 118/2016 बअनवान दलपतसिंह वगै. बनाम जेठूसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 में कोई विधिक त्रुटि इंगित नहीं होती है। लिहाजा इसे यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

25/3/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/3/19 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner